

मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेषक,

अभय राज (भा0प्र0से0)
संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला अवर निबंधक,
पटना एवं अररिया।

पटना, दिनांक:- 15.3.19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये मुख्य शीर्ष 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, उपमुख्य शीर्ष-03-पंजीकरण, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग सं0-38, उपशीर्ष 0002-जिला प्रभार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय विपत्र कोड-38-2030.03.001.0002.14 के अंतर्गत किराया महसूल एवं कर के मद में कुल 957000/- (नौ लाख सतावन हजार) रुपये मात्र के अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मुख्य शीर्ष 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, उपमुख्य शीर्ष-03-पंजीकरण, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग सं0-38, उपशीर्ष 0002-जिला प्रभार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय विपत्र कोड-38-2030.03.001.0002.14 के अंतर्गत विषय शीर्ष 0002.14.01 किराया महसूल एवं कर के मद में जिला अवर निबंधक, पटना को 672000/- (छः लाख बहत्तर हजार) एवं जिला अवर निबंधक, अररिया को 285000/- (दो लाख पच्चासी हजार) रुपये कुल (672000+285000)= 957000/- (नौ लाख सतावन हजार) रुपये मात्र के अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, उपमुख्य शीर्ष-03-पंजीकरण, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग सं0-38, उपशीर्ष 0002-जिला प्रभार विपत्र कोड-38-2030.03.001.0002.14 के अंतर्गत विषय शीर्ष 0002.14.01 किराया महसूल एवं कर के मद में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 एम0-4-05/98-2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक-396 दिनांक-24.04.2015 में निहित अनुदेशों के तहत निर्गत किया जाता है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक 28.03.2018 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-257/वि0 दिनांक 26.02.2019 के द्वारा तृतीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त राशि को व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त है।

5. आवंटित राशि में से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के सभी तरह के लंबित विपत्रों की भी निकासी की जायेगी।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

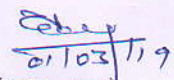
7. आवंटित राशि की निकासी संबंधित स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

8. आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

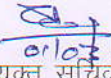
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी एवं महालेखाकार कार्यालय से निकासी की राशि का सत्यापन कराकर उसकी एक प्रति मुख्यालय को अवश्य भेजी जाय।

10. आवंटित राशि का व्यय निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

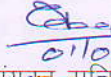
विश्वासभाजन


(अभय राज)
संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

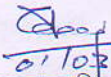
ज्ञापांक:-1/बजट (स्था0 एवं प्रतिबद्ध व्यय) आवंटन (नि0)-20/2018 32 पटना, दिनांक:-05.3.19
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


01/03/19
संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-1/बजट (स्था0 एवं प्रतिबद्ध व्यय) आवंटन (नि0)-20/2018 32 पटना, दिनांक:-05.3.19
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी जिला कोषागार, पटना एवं अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


01/03/19
संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-1/बजट (स्था0 एवं प्रतिबद्ध व्यय) आवंटन (नि0)-20/2018 32 पटना, दिनांक:-05.3.19
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, विभागीय बजट शाखा (मुख्यालय) एवं आईटी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


01/03/19
संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।